निगरानी 351-I-15

न्यायालय- श्रीमान राजस्व ग्वालियर बोर्ड, केम्प सागर म0प्र0

तुलसीराम चढार वल्द रूपसींग चढार उम्र 37 साल

निवासी- ग्राम बम्होरी , तह0 व जिला सागर म0प्र0

... अपीलार्थी/निगरानीकर्ता

// विरूद्ध //

म0प्र0शासन - ... प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक

प्र.क्र.- ता0पेशी :-

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता .

11-2-15

12-2-15

अपीलार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

{0} यह कि,अपील/निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर के प्र.क्र. 43अ/39 वर्ष 2014-15 आदेश दिनांक 02.12.2014 पक्षकार तुलसीराम चढार विरूद्ध म0प्र0 शासन में पारित आदेश से दुखित होकर यह अपील/निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :-

{क} काशीराम चढार वल्द हल्के चढार उपरोक्त अपीलार्थी /निगरानीकर्ता के सगे चाचा थे । जो विवाहित होकर ला-औलाद फौत हुए थे ।काशीराम के लिए मौजा ग्राम बम्होरी की शासकीय भूमि ख.नं. 441/8 रकबा 1.00एकड़ तथा ख.नं. 142/4 रकबा 2.00 एकड़ कुल रकबा 3.00 एकड़ भूमि तह0 व जिला सागर स्थित का पट्टा वर्ष 1975-76 में शासन से दिया गया था ।

... अपीलार्थी के चाचा काशीराम उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(48)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग.351–एक/2015 जिला–सागर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
4–2–15 सागर कैंप	आवेदक अधिवक्ता श्री के0एस0 यादव उपस्थित । उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग के प्रकरण कमांक 43/अ–39/2014–14 में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 2–12–2014 का अवलोकन किया जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी 23 वर्षो से अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा आवेदक उनके समक्ष निगरानी अत्यधिक समयावधि बाह्य होने के संबंध में कोई भी समाधानकारक दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी को समयावधि बाह्य होने से निरस्त किया है । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः प्रथमदृष्टया समयावधि के बिन्दु पर इतने विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी को प्रचलित रखे जाने का कोई नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	